न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर– 2026/88

1. कालूराम पुत्र गंगासहाय, जाति मीना, निवासी ग्राम अगावली, तहसील बहरावण्डा, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. रामस्वरूप पुत्र छाजूलाल मीना, निवासी ग्राम गंडरावा, तहसील बहरावण्डा, जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 23.04.2025 अपील संख्या 18/2024 उनवानी कालूराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एवं तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.03.2024 प्रकरण संख्या 14/2024 उनवान सरकार बनाम कालूराम में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री गोरधन गुर्जर, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री योगेश जाकड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 24.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 एवं तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.03.2024 के खिलाफ दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.03.2024 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2080 में वाके ग्राम अगावली के आराजी खसरा नम्बर 469/701 कुल रकबा 0.28 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.10 है0 भूमि पर कास्त/कब्जा कर अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.03.2024 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा दिनांक 12.03.2024 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि हरदो न्यायालय का निर्णय जैर

कानून नियम, उपनियम के खिलाफ है इसलिए निरस्तनीय है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह तर्क दिया था कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पूर्ण अवसर ही नही दिया तथा अपीलांट ने किसी भी गै०मु० रास्ते की भूमि मे कोई अतिक्रमण नही किया हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार न कर अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी पक्ष को पूर्ण सुनवाई व जवाब सबूत का मौका देकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क रखा था कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नही किया कि अपीलांट ने कौनसी भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह तक का भी मौका नही मिला और ना ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रदर्शित हुई है। इसलिए कानूनन बिना प्रदर्शित हुए उक्त रिपोर्ट पटवारी साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नही थी तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय चलने योग्य नही था परन्तु इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया इसलिए भी हरदो न्यायालीय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रवाली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत होने के बावजूद भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तहसीलदार ने निर्णय पारित किया है जो कतई निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० संख्या 2 का विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर ने उसे अपील में अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ हरदो न्यायालय का निर्णय कतई विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्येक दोनों न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 23.04.2025 व तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 12.03.2024 के निर्णय को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2080 में वाके ग्राम अगावली के आराजी खसरा नम्बर 469/701 कुल रकबा 0.28 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.10 है0 भूमि पर कास्त/कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 12.03.2024 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ने अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2025 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत 2080 में वाके ग्राम अगावली के आराजी खसरा नम्बर 469/701 कुल रकबा 0.28 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.10 है0 भूमि पर कास्त/कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 12.03.2024 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 में यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता है अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर कास्त/कब्जा कर अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2024 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर